





फर्द नंबर

अधिवक्ता के

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....बनाम.....
प्रकरण सं. 1/274/2025 तारीख रजू 02.5.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
02.5.25	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से यह द्वाका अधिवक्ता श्री अमृतलाल सेनी ने पेश किया। द्वाका रजु रजिस्टर्ड है। प्रतिवादी को जर्जे रजि० डाक नोटिस तबल हो। पत्रावली वाले तबकी भाषण न्मांक 09.5.25 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) रज०	
09.5.25	पत्रावली पेश हुई। कहील वादी उपाधियत। कहील वादी ने प्रतिवादीमन की तबकी की तामिल रिपोर्ट पेश की। पत्रावली वाले तबकी गोर भाषण न्मांक 16.5.25 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) रज०	
16.5.25	पत्रावली पेश हुई। एकाप परकात्म अधियत। पत्रावली वाले ज्वाख न्मांक 02.6.2025 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) रज०	
02.6.25	पत्रावली पेश। P.O. साहब..... पत्रावली न्मांक 16.6.25 को पेश हो।  रजि०	


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहक
जारी

16.6.25

पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्रावली उपर
पत्रावली वास्तु प्रवाल विनांक 01.4.25 को
पेश हो।


उपर्युक्त अधिकारी
मोहोर द्वारा जारी है।

01.7.25

पत्रावली पेश हुई। वकील व उनकी वादी व
अनुपस्थित। वकील व उनके वादी को
बार-बार आवाज दिलायी गई। इसके
बावजूद वकील व उनके वादी उपस्थित
नहीं आये। अतः दावा वकील व उनके
वादी की अदम्य पक्षी - अदम्य हाजिरी में
खालिय किया जाता है। पत्रावली के अंत
सुभार होकर नम्बर से क्रम हो। पत्रावली
बाद तकमिल कारियत कफतार हो।

01/12/25 
उपर्युक्त अधिकारी
मोहोर द्वारा जारी है।